INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP02831115801576V

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP02831115801576V
Certificate Issued Date	:	01-Sep-2023 02:21 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14267804/ SARDHANA/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1426780401271709198423V
Purchased by	:	SANJAY CHAUDHARY
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SANJAY CHAUDHARY
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SANJAY CHAUDHARY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

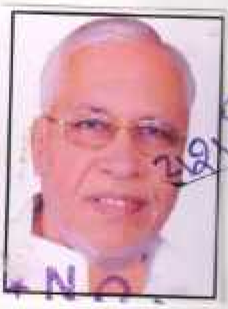

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

e-Stamp
Certificate No-UP02831115801576V

<u>प्रारूप– "अ"</u>

समक्ष–सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश लखनऊ।

हम **चौ0 यशवीर सिंह(अध्यक्ष)** एवं **संजय सिंह(सचिव)**, क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव **श्री गुरूहरगोविन्द साहब जी चैरिटिबल ट्रस्ट** शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं–

1. यह कि हमारी ट्रस्ट **श्री गुरूहरगोविन्द साहब जी पता– 628/8 सुभाषनगर जनपद मेरठ 250002** उ0प्र0 नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी चेरिटेबिल कॉलिज **श्री गुरूहरगोविन्द साहब जी चैरिटिबल ट्रस्ट** मे भूमि का पता ग्राम **जुल्हैडा** में खसरा नम्बर 2, 13/1, 13/3, 15 रकबा क्रमशः 0.88है0 भूमि है। कुल रकबा 2.15 मे से भूमि ....संस्था /संस्थान, डिप्लोमा इन फार्मेसी के नाम **डी0फार्मा** पर है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोइ वाद–विवाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/संस्थान के नाम **श्री गुरूहरगोविन्द साहब जी चैरिटिबल ट्रस्ट** पर उपलब्ध भूमि के गाटा स0 2, 13/1, 13/3, 15 एवं 2.15 रकबा क्रमशः .88.....हैक्टेयर, ...हैक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 12.04.2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमो के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/ आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओ आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशो का भली भांति पालन करूँगा/करूँगी। यदि मेरे संस्थान मे किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मे मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा।इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।
13. मैं घोषणाकरता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित, अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानूनसंगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

ह0 सचिव/प्रबन्धक

संजय सिंह

ह0 अध्यक्ष

यशवीर सिंह

ATTESTED

Reg. No.: 6313/18